निगरानी अपील प्र.क्रं. 8 / 18

प्रस्तुति दिनांक..........

माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर केम्प इन्दौर म.प्र. के समक्ष

PBR/निगरानी/धार/भू.रा/2018/2494

आवेदक अभिभाषक श्री तुषार दुबे द्वारा दिनांक 16-4-18 को इन्दौर कैम्प मे प्रस्तुत 16-4-18

मधुसुदन पिता रंगनाथ कर्णिक

निवासी– 792, एफ.बी.राजीव आवास विहार,

स्कीम नं. 114, पार्ट 1, विजय नगर, इन्दौर म.प्र. ——अपीलार्थी

विरूद्ध

1. मध्यप्रदेश शासन द्वारा आयुक्त महोदय,

इन्दौर सम्भाग, इन्दौर म.प्र.

2. मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर महोदय,

धार जिला धार म.प्र. ——रिस्पांडेंट्स/अनावेदकगण

निगरानी याचिका अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता एवं राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड 4 क्रमांक 3 के नियत 30 (5) के अंतर्गत

महोदय,

प्रार्थी द्वारा यह निगरानी श्रीमान आयुक्त महोदय, इन्दौर सम्भाग इन्दौर के प्रकरण क्रमांक 04/अपील आर.बी.सी./2015–16 में पारित आदेश दिनांक 16/01/2017 से असंतुष्ट होकर जानकारी दिनांक के आधार पर नियत समयवधि में प्रस्तुत की जा रही हैः–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

1. यह कि, प्रार्थी को न्यू बस स्टेण्ड कुक्षी जिला धार म.प्र. स्थित शासकीय नजूल भूखण्ड क्रमांक 18 एवं 19 का अस्थायी पट्टा निलामी में दिनांक

अविरत.....2

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक PBR/निगरानी/धार/भू.रा./2018/2494

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5/6/18	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर के आदेश दिनांक 16-1-2017 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन नजूल भूमि का अस्थायी लीज पट्टा दिनांक 1-10-74 से 31-3-75 तक की अवधि के लिए प्रदत्त किया गया था, जिसका नवीनीकरण दिनांक 1-4-75 से 31-3-76 तक की समयावधि के लिए किया गया था । आवेदक द्वारा प्रश्नाधीन भूमि का स्थायी लीज पट्टा स्वीकृत किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने पर विचारण न्यायालय द्वारा अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदार से जांच कराई जाकर प्रतिवेदन प्राप्त किया गया है, जिस पर तहसीलदार द्वारा यह प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक को प्रदत्त अस्थायी लीज की अवधि पूर्णत: समाप्त हो चुकी है और यदि आवेदक को पुन: पट्टा दिया जाता है तो प्रश्नाधीन भूमि के सामने मण्डी समिति द्वारा निर्मित दुकानों का रास्ता बाधित होगा । तहसीलदार के उक्त प्रतिवेदन से सहमत होते हुए अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त करने की अनुशंसा की गई है, जिसके आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 22-3-2012 को आदेश पारित कर आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त किया गया । विचारण न्यायालय के आदेश के विरूद्ध अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर अपीलीय न्यायालय द्वारा दिनांक 19-9-2012 को आदेश पारित कर प्रकरण प्रत्यावर्तित किया गया । प्रकरण प्रत्यावर्तित होने के उपरांत अपर कलेक्टर द्वारा दिनांक 13-4-2016 को आदेश पारित कर आवेदक का स्थायी लीज का आवेदन पत्र निरस्त किया गया, जिसके विरूद्ध प्रस्तुत द्वितीय अपील में आयुक्त द्वारा वाद बिन्दु निर्धारित किया जाकर, विवेचना उपरांत सकारण बोलता हुआ आदेश पारित कर आवेदक की अपील निरस्त की गई एवं अपर कलेक्टर का आदेश यथावत रखा गया है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा समवर्ती निष्कर्ष निष्कर्ष निकाले गये हैं । इस सम्बन्ध में 1982 आर.एन. 36 रामाधार	

PBR/ निग/ 2094/ 2018/ em/ 22.21.

विरूद्ध आनन्द स्वरूप तथा अन्य में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है:-

"धारा 50-समवर्ती निष्कर्ष-अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों में कोई अवैधानिकता या अनियमितता नहीं-पुनरीक्षण में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए ।"

उपरोक्त विश्लेषण एवं प्रतिपादित न्याय दृष्टान्त के प्रकाश में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश विधिसंगत एवं उचित होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं हैं । फलस्वरूप यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है ।

अध्यक्ष